रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 151] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 4, 2014/भाद्र 13, 1936
No. 151] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 4, 2014/BHADRA 13, 1936

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2014

आ.अ. 196(अ).—यतः मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित श्री कप्तान सिंह सोलंकी, उनकी पदावधि जो 2 अप्रैल, 2018 को सम्मिलित करते हुए, उस तारीख तक थी, के हरियाणा राज्य के राज्यपाल बनने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 158(1) के तहत 27 जुलाई, 2014 को रिक्त हो गया है; और

यतः, इस प्रकार हुई रिक्ति को भरने के प्रयोजन से उप–निर्वाचन कराना है ;

अतः अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 147, धारा 39 की उप–धारा (1) और धारा 56 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा :–

(अ) मध्य प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से यह अपेक्षा करता है कि वे 26 सितम्बर, 2014 (शुक्रवार) से पूर्व तथा उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबन्धों के अनुसार राज्य सभा में उक्त रिक्ति को भरने के प्रयोजन से एक व्यक्ति निर्वाचित कर दें ;

(आ) उक्त निर्वाचन के संबंध में: –

(क) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	–11 सितम्बर, 2014 (गुरूवार)
(ख) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख	–12 सितम्बर, 2014 (शुक्रवार)
(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतिम तारीख	–15 सितम्बर, 2014 (सोमवार)
(घ) वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो मतदान होगा, और	–22 सितम्बर, 2014 (सोमवार)
(ड़) वह तारीख जिससे पूर्व निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा	–26 सितम्बर, 2014 (शुक्रवार)

नियत करता है; और,

(इ) 9.00 बजे पूर्वाहन् से 4.00 बजे अपराह्न तक का समय, ऐसे समय के रूप में नियत करता है जिसके दौरान यदि आवश्यक हुआ है तो, निर्वाचन के लिए उपर्युक्त विनिर्दिष्ट तारीख को, मतदान होगा ।

[सं. 100/रा.स./3/2014 (1)]

आदेश से,

के. अजय कुमार, प्रधान सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2014

O.N. 196(E).—Whereas, the seat of Shri Kaptan Singh Solanki in the Council of States, elected by the elected members of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh, has become vacant on 27th July, 2014 by the reason of his vacating the seat in terms of Article 158(1) of the Constitution of India on his entering upon the office of Governor of the State of Haryana, before the expiration of his term of office which was up to and including the 2nd April, 2018; and

Whereas, a bye-election is to be held for the purpose of filling the vacancy so caused;

Now, therefore, in pursuance of Section 147, sub-section (1) of Section 39 and Section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby-

(A) **calls upon** the elected members of the Legislative Assembly of the State of Madhya Pradesh to elect, before 26th September, 2014 (Friday), and in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, a person for the purpose of filling the said vacancy in the Council of States;

(B) **appoints,** with respect to the said election; ,

(a) the 11th September, 2014 (Thursday), as the last date for making nominations;

(b) the 12th September, 2014 (Friday), as the date for the scrutiny of the nominations;

(c) the 15th September, 2014 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures;

(d) the 22nd September, 2014 (Monday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and

(e) the 26th September, 2014 (Friday), as the date before which the election shall be completed; and

(C) **fixes the hours** from **9:00 A.M. to 4:00 P.M**., as the hours during which the poll shall, if necessary, be taken on the date specified above for the election.

[No. 100/CS/3/2014 (1)]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Principal Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 2014

आ.अ. 197(अ).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 21 के अनुसरण में और धारा 22 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा तारीख 04 सितम्बर, 2014 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित आयोग की अधिसूचना के अनुसरण में इस राज्य में राज्य सभा के लिए उप–निर्वाचन के संबंध में :–

(I) नीचे की सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित करता है; और

(II) उक्त सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट अधिकारी को, रिटर्निंग आफिसर की उसके कृत्यों के पालन में सहायता के लिए सहायक रिटर्निंग आफिसर नियुक्त करता है ।

सारणी

रिटर्निंग आफिसर के रूप में पदाभिहित अधिकारी	सहायक रिटर्निंग आफिसर के रूप में नियुक्त अधिकारी
(1)	(2)
प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल	श्री ए. पी. सिंह, अपर सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा, भोपाल

[सं. 100/रा.स./3/2014 (2)]

आदेश से,

के. अजय कुमार, प्रधान सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th September, 2014

O.N. 197(E).—In pursuance of Section 21, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 22, of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India, in consultation with the Government of the State of Madhya Pradesh, hereby: —

(i) designates the officer, specified in column (1) of the TABLE below, to be the Returning Officer; and

(ii) appoints the officer, specified in column (2) of the said Table, to be the Assistant Returning Officer to assist the Returning Officer in the performance of his functions;

in respect of the bye-election to the Council of States, to be held in that State in pursuance of the Commission's Notification, published in the Gazette of India on 4th September, 2014:—

TABLE

Officer Designated as Returning Officer	**Officer Appointed as Assistant Returning Officer**
(1)	**(2)**
Principal Secretary, Legislative Assembly, Madhya Pradesh, Bhopal	Shri A. P. Singh, Additional Secretary, Legislative Assembly, Madhya Pradesh, Bhopal

[No. 100/CS/3/2014(2)]

By Order,

K. AJAYA KUMAR, Principal Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.